न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 75/2018

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. जगदीश पुत्र करनमल जाति जैन निवासी धोरीमन्ना, बाड़मेर (मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का मालिक) 2. कमल किशोर धूत पुत्र कालूराम धूत 35 ए पवन पुत्र नमकीन मसुरिया जोधपुर (मैसर्स पवन पुत्र फूड प्रोडक्ट वि 1–100 एग्रो फूड पार्क बोरानाडा जोधपुर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश जैन, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स धोरीमन्ना जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **10.08.2017** को विक्रय हेतु 400–400 ग्राम के 50 पैकेटों में रखा गया खाद्य पदार्थ **नमकीन ब्राण्ड पसन्द (400 ग्राम पैकिंग)** को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 400–400 ग्राम **नमकीन ब्राण्ड पसन्द (400 ग्राम पैकिंग)** के कुल 4 पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना सख्या **पी–818** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत करवाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:31:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **नमकीन ब्राण्ड पसन्द (400 ग्राम पैकिंग)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **नमकीन ब्राण्ड पसन्द (400 ग्राम पैकिंग)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया नमूना मिथ्याछाप नहीं है। जनविश्लेषक को नमूना की रासायनिक जांच करने का दायित्व होता है, आंखों से देखकर नमूने को मिथ्याछाप रिपोर्ट करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाते समय कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखे गये थे। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही गलत एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **29.08.2017** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पाया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम व इसके अधीन बनाये गये विनियमों के परिप्रेक्ष्य में समुचित नहीं है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थों की मानकता एवं गुणवता के प्रति अपने दायित्व से विमुख होते हुए सारहीन जवाब प्रकट किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीर 2013(2)क्राइम्स142(झार.) एवं 2016(2)[illegible] प्रस्तुत की गई जिसमें विवेचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:31:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रकरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाते हैं। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 25,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर ... बाडमेर (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:31:21 IST
Reason: SelfAttested